परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांकः 07.07.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 07.07.2018, दिन शनिवार को अपराह्न 02:30 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 आर0के0 गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
9.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री एस.एल. पाल, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीया कुलपति जी द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

मद सं.–1. **याचिका सं0–13130/2018, संध्या देवी बनाम सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2018 के अनुक्रम में विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि याचिका सं0–13130/2018 संध्या देवी बनाम सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2018 के अनुक्रम में सूच्य है कि संध्या देवी, छात्रा बी0ए0 तृतीय वर्ष, वर्ष–2007, अनुक्रमांक–328827 को अंकपत्र में पर्यावरण अध्ययन में 32 अंक प्रदान कर उत्तीर्ण घोषित किया गया है तथा सारणीयन पंजिका में भी 32 अंक दर्शाते हुए उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जबकि नियमानुसार छात्रा को पर्यावरण अध्ययन विषय में अनुत्तीर्ण होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन विषय में उत्तीर्णांक 33 अंक है। उक्त छात्रा का बी0ए0 तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम (550/900) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित है। उक्त प्रकरण उस समय संज्ञान में आया जब छात्रा का अंकपत्र सत्यापन सम्बन्धी प्रकरण विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। इस प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 03 दिवसों में निस्तारित करने के आदेश प्रदान किए गए है।

उपरोक्तानुक्रम में समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रकरण काफी पुराना है, अतः विशेष परिस्थिति में छात्राहित में उक्त छात्रा को पर्यावरण अध्ययन विषय में 01 अंक का कृपांक प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित करने का निर्णय लिया गया। यह भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।

मद सं.–2. **अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।**

(i) बैकपेपर परीक्षा सत्र 2017–18 के परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में विचार :–

निर्णयः– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि बैकपेपर परीक्षा हेतु प्रति प्रश्नपत्र ₹ 500/– परीक्षा शुल्क पूर्व से लिया जा रहा है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि सत्र 2017–18 की बैकपेपर परीक्षा हेतु स्नातक स्तर पर किसी विषय के 02 प्रश्नपत्रों हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है, अतः ऐसे छात्र जो किसी विषय के 02 प्रश्नपत्रों में बैक पेपर हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें ₹ 500/– प्रति प्रश्नपत्र के हिसाब से ₹ 1000/– परीक्षा शुल्क देय होगा। एक प्रश्नपत्र की दशा में पूर्ववत् ₹ 500/– ही परीक्षा शुल्क देय होगा।

07/07.

07/07

.....2

(ii) सत्र 2017–18 की परीक्षाओं में दोषसिद्ध महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विचार :–

निर्णयः– दिनांक 06.06.2018 एवं दिनांक 04.07.2018 की परीक्षा समिति की बैठकों में हुए निर्णय के अनुक्रम में अनुचित साधन प्रयोग समिति द्वारा अनुशंसित अभद्रता/सामूहिक नकल में दोषसिद्ध महाविद्यालयों की सूची के अनुसार इस बैठक में अभ्रद्रता एवं सामूहिक नकल में दोषसिद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त करके ऐसे महाविद्यालयों की पुर्नपरीक्षा कराये जाने निर्णय लिया गया।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

07/7/2018

(एस.एल. पाल)
परीक्षा नियंत्रक/पदेन सचिव

7/7/18

प्रो०(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति